

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/775

जगदीश पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह0 नीमराना हाल कनक विहार वार्ड 2, मौहल्ला बाछडी, कोटपूतली, जिला-जयपुर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र दयालाराम, जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह0 नीमराना हाल बनिहाडी तह0 नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
2. स्नेहलता पुत्री दयालाराम हाल पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
3. राजबाला पुत्री दयालाराम हाल पत्नी रणजीतसिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
4. सुधा कंवर पत्नी सुबेसिंह जाति जाट, निवासी माजरा काठ नीमराना तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
5. अनिता पुत्री सुबेसिंह हाल पत्नी राजवीर सिंह जाति जाट हाल निवासी काली पहाड़ी तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
6. सुनीता पुत्री सुबेसिंह हाल पत्नी भाल सिंह जाति जाट हाल निवासी काली पहाड़ी तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
7. सरिता पुत्री सुबेसिंह हाल पत्नी विकास कुमार जाति जाट हाल निवासी चकोलिया की ढाणी, मातौर, तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
8. रुड़मल पुत्र सुबेसिंह जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह. नीमराना (अलवर) राज.।
9. सुरजीत पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह. नीमराना (अलवर) राज. (मृतक दिनांक 23.04.2021)
- 9/1 कौशल्या देवी पत्नी स्व. सुरजीत,
- 9/2 प्रियंका पुत्री स्व. सुरजीत हाल पत्नी अजीत सिंह,
- 9/3 प्रदीप पुत्र स्व. सुरजीत,
- 9/4 रितिका पुत्री स्व. सुरजीत समस्त जाति जाट, निवासीयान माजरा काठ, तहसील नीमराना (अलवर) राज., हाल ए-22, परिवहन नगर, खातीपुरा, जयपुर (राज.)।
10. राजेश पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह. नीमराना (अलवर) राज.।
11. कृष्णा पुत्री दयालाराम जाति जाट, हाल पत्नी महेन्द्र हाल निवासी माजरी भाण्डा तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
12. सुलोचना पुत्री दयालाराम जाति जाट, हाल पत्नी राजेन्द्र हाल निवासी माजरी भाण्डा तह. मुण्डावर (अलवर) राज.।
13. पवन कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति जाट, निवासी माजरा काठ, तह. नीमराना (अलवर) राज., हाल बनिहाडी तह. नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

—तरतीबी रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर, अलवर निर्णय दिनांक 25.10.2021 अपील संख्या 11/48/2019 उनवान चिरंजीलाल बनाम जगदीश वगैरा जिसके द्वारा असल रेस्पोंडेंट नं. 1 की प्रथम अपील स्वीकार की गई।

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार सोनी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मुकेश यादव, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगा0 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक-25.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 25.10.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 28.05.2016 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 311 ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

माजरा काठ, तहसील नीमराना, जिला अलवर से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर ने निर्णय दिनांक 25.10.2021 द्वारा हाल रेस्पोंडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि गुणावगुण के आधार पर नियमों के आलोक में पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 25.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्त जगदीश पुत्र दयालाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर का निर्णय दिनांक 25.10.2021 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेंट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि असल रेस्पोंडेंट नं. 1 चिरंजीलाल पुत्र दयालाराम ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष दिनांक 27.11.2018 को अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार नीमराना के निर्णय दिनांक 28.05.2016 जिसके जरिये इन्तकाल संख्या 311 वाके ग्राम माजरा काठ स्वीकार किया गया था व पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 145 रकबा 56 एयर, 147 रकबा 44 एयर, 162 रकबा 52 एयर, 163/786 रकबा 11 एयर, 228 रकबा 19 एयर, 728 रकबा 26 एयर वाके ग्राम माजरा काठ का 1/6 हिस्सा सूरजी देवी पत्नि दयालाराम के नाम दर्ज था यह आराजी पक्षकारान के पूर्वज मामचन्द की खातेदारी की आराजी है मामचन्द के तीन पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबेसिंह हुए, दयालाराम ने दो विवाह किए थे जिसकी प्रथम पत्नी सूरजी व द्वितीय पत्नी सदाकौर थी। सूरजी देवी के दो पुत्र चिरंजीलाल व जगदीश व दो पुत्री स्नेहलता व राजबाला है तथा दूसरी पत्नी सदाकौर के दो पुत्र सुरजीत व राजेश व दो पुत्री कृष्णा व सुलोचना है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी दादालाई आराजी है तथा दयालाराम का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था। जिसमें से 1/6 हिस्सा सूरजी देवी व 1/6 हिस्सा सदाकौर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.2006 को दे दिया जबकि यह जमीन दयालाराम के पिता मामचन्द से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा मामचन्द की मृत्यु के बाद विरासत में मामचन्द के पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबेसिंह को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह आराजी दादालाई आराजी है जिसमें मिन अपीलान्त व तरतीबी रेस्पोंडेंट का हक व हिस्सा निहित है जो वर्तमान में बंटी हुई नहीं है और खाता शामिल में चला आ रहा है। असल रेस्पोंडेंट ने मिन अपीलान्त व तरतीबी रेस्पोंडेंट से बाला-बाला सूरजी देवी माता से अपने हक में वसीयत दिनांक 09.05.2016 को नोटेरी से तस्दीक करा ली जबकि वसीयतकर्ता सूरजी देवी 85 साल की वृद्ध बिना पढ़ी लिखी औरत थी और उसे दिखना व सुनना बंद हो गया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर कर निशानी अंगूठा लगवाकर वसीयत फर्जी तरीके से अपने स्वयं के गवाह बनाकर करा ली जो आराजी सूरजी देवी की स्वर्जित आराजी नहीं थी जबकि विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी। न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड़ के यहां एक मुकदमा राजेश कुमार बनाम सदाकौर जिसमें आराजी खसरा नं. 133 पर दिनांक 21.05.2013 से स्थगन चला आ रहा था। इसके अलावा ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां एक मुकदमा अनिता बनाम सुबेसिंह में भी खसरा नं. 133 पर स्थगन चला आ रहा था साथ ही ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां राजेश बनाम सदाकौर में अन्य खसरा नम्बरान में दिनांक 05.04.2013 से स्थगन चला आ रहा है, जो वर्तमान तक प्रभावी है। बावजूद स्थगन आदेश तहसीलदार द्वारा निर्णय विधि विरुद्ध पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। जगदीश ने अपनी माता सूरजी देवी से गिफ्ट डीड भी दिनांक 20.05.2016 को वसीयत कराने के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

उपरान्त गलत तरीके से उप पंजीयक नीमराना के यहां सूरजी देवी के हिस्से के सभी खसरा नम्बरान 145, 147, 162, 163/786, 228, 728 वाके ग्राम माजरा काठ के 1/6 हिस्सा की गिफ्ट डीड करा ली, जबकि सूरजी देवी स्वअर्जित आय से खरीद की गयी आराजी नहीं थी और विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी तथा गिफ्ट डीड के निष्पादन के समय भी अदालत ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां से आराजी पर स्थगन था तो वर्तमान में भी प्रभावी है। उसके बावजूद पटवारी हल्का से मिली भगत कर दिनांक 28.05.2016 को इन्तकाल संख्या 311 असल रेस्पोंडेंट ने अपने नाम करा लिया। उक्त आराजी में अपीलान्त चिरंजीलाल रेस्पोंडेंट जगदीश व तरतीबी रेस्पोंडेंट स्नेहलता व राजबाला का बराबर-बराबर हिस्सा है। कालान्तर में उक्त अपील अंतरित होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण में मिन अपीलान्त के पक्ष में इन्तकाल संख्या 311 पंजीकृत दानपत्र के आधार पर सही रूप से दर्ज होकर दिनांक 28.05.2016 को स्वीकार हुआ था, जिसकी शुरु से ही रेस्पोंडेंट नं. 1 (चिरंजीलाल) को जानकारी रही है। अब उसके मन में लालच आ गया है। इसलिए उसने मिन अपीलान्त को तंग व परेशान करने के लिए मियाद बाहर अधीनस्थ न्यायालय में झूठी अपील पेश की थी।

प्रकरण में विवादित आराजी सूरजी देवी पत्नी दयालाराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपने पति दयालाराम पुत्र मामचन्द से खरीद की थी व विधिवत रूप से खरीदी हुई आराजी का दान पत्र सूरजी देवी ने मिन अपीलान्त के नाम करवाया है व जिसका विधिवत रूप से इन्तकाल दर्ज हुआ है। जिस पर वर्तमान में मिन अपीलान्त काबिज होकर मौके पर काश्त कर रहा है। रेस्पोंडेंट नं. 1 का इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। दिनांक 09.05.2016 को सूरजी देवी से वसीयत कराने बाबत दर्ज किया गया है। जो आराजी इस प्रकरण में विवादित नहीं है। सूरजी देवी के हिस्से पर कोई स्थगन नहीं था। मिन अपीलान्त के नाम दानपत्र विधिवत रूप से स्व. सूरजी देवी द्वारा स्वयं की खरीदी हुई आराजी का किया हुआ है। जिसमें उसके पुत्र रेस्पोंडेंट नं. 1 व पुत्रियां स्नेहलता व राजबाला का कोई हिस्सा नहीं है। अपीलान्त अपनी माता सूरजी देवी की देखभाल करता था जिसमें प्रसन्न होकर सूरजी देवी ने अपनी खरीद शुदा सम्पत्ति का दानपत्र किया था। मौक पर पक्षकारान ने आराजी का बुजुर्गों के समय से ही बंटवारा कर रखा है। रेस्पोंडेंट नं. 1 ने झूठी अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं. 2 बहरोड़ में इसी आराजी बाबत दीवानी वाद संख्या 8/2019 चिरंजीलाल बनाम जगदीश वगैरा दिनांक 18.03.2019 को पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 11.07.2019 को उभय पक्षों को यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल संख्या 311 के खिलाफ पेश अपील केवल मात्र इस आधार पर स्वीकार की है कि उक्त आराजी पर सहायक कलेक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक 27.02.2013 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि अपील में विवादित आराजी बाबत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं. 2 बहरोड़ द्वारा दिनांक 11.07.2019 को यथास्थिति के आदेश पारित किए हुए थे। जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलान्त ने अपनी लिखित बहस के साथ पेश कर दी थी व दौराने अपील तरतीबी रेस्पोंडेंट नं. 9 सुरजीत पुत्र दयालाराम की दिनांक 23.04.2021 को मृत्यु हो चुकी थी। जिसके वारिसों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र चिरंजीलाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि चिरंजीलाल को उक्त तथ्यों की बखुबी जानकारी थी। मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है व जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार की है उसी आधार का स्वयं ने उल्लंघन किया है। इस कारण से अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। रेस्पोंडेंट नं. 1 चिरंजीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर अपील पेश की थी। जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संप्रगीय आयुक्त
नयपुर

द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.10.2021 में मियाद के बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया व सीधे ही अपीलधीन आदेश खिलाफ कानून पारित कर दिया। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर का निर्णय दिनांक 25.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि तहसीलदार नीमराणा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2016 विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरीत किया गया है। उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम हाल असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 05.11.2018 को हुई। जिस पर दिनांक 19.11.2018 को नकल प्राप्त कर बिना देरी के सक्षम न्यायालय में अपील पेश की गई। आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 56 एयर, 147 रकबा 44 एयर, 162 रकबा 52 एयर, 163/786 रकबा 11 एयर, 228 रकबा 19 एयर, 728 रकबा 26 एयर वाके ग्राम माजरा काठ हिस्सा 1/6 हाल रेस्पोंडेन्ट्स व मिन अपीलान्त के पूर्वज मामचंद की खातेदारी की आराजी है जिनके तीन पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबेसिंह हुये, दयालाराम ने दो विवाह किये थे जिनकी प्रथम पत्नी सुरजी देवी व द्वितीय पत्नि सदाकौर थी, सुरजीदेवी के दो पुत्र चिरंजीलाल व जगदीश व दो पुत्री स्नेहलता व राजबाला हुई तथा दूसरी पत्नी के दो पुत्र सुरजीत व राजेश व दो पुत्री कृष्णा व सुलोचना हुई। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी दादालाई आराजी है। तथा दयालाराम का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था जिसने अपने 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा सुरजीदेवी व 1/6 हिस्सा सदाकौर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.2006 द्वारा दे दिया। जबकि यह जमीन दयालाराम के पिता मामचंद से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा मामचंद की मृत्यु के बाद विरासत में मामचंद के पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबेसिंह को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है इस प्रकार यह आराजी दादालाई आराजी है, जिसमें हाल असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोंडेन्टान का हक व हिस्सा निहित है। जो वर्तमान में बटी हुई नहीं है ओर खाता शामिल में चला आ रहा है। हाल अपीलान्त जगदीश ने हाल असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पा० के बाला-बाला सुरजी देवी माता से अपने हक में वसीयत दिनांक 09.05.2016 को नोटेरी से तस्दीक करा ली। जबकि वसीयतकर्ता सुरजीदेवी 85 साल की वृद्ध, बिना पढ़ी लिखी औरत थी ओर उसे दिखना व सुनना भी बंद हो गया था जिसका नाजायज फायदा उठा कर निशानी अगूँठा लगवाकर वसीयत फर्जी तरीके से अपने स्वयं के गवाह बनाकर करा ली। जो आराजी सुरजीदेवी की स्वअर्जित आराजी नहीं थी बल्कि विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड़ के यहां एक मुकदमा राजेश कुमार बनाम सदाकौर जिसमें आराजी खसरा नं. 133 पर दिनांक 21.05.2013 से स्थगन चला आ रहा था। इसके अलावा ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां एक मुकदमा अनिता बनाम सुबेसिंह में भी खसरा नं. 133 पर स्थगन चला आ रहा था साथ ही ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां राजेश बनाम सदाकौर में अन्य खसरा नम्बरान में दिनांक 05.04.2013 से स्थगन चला आ रहा है, जो वर्तमान तक प्रभावी है। बावजूद स्थगन आदेश तहसीलदार द्वारा निर्णय विधि विरुद्ध पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। जगदीश हाल अपीलान्त ने अपनी माता सुरजीदेवी से गिफ्ट डीड भी दिनांक 20.05.2016 को वसीयत कराने के उपरान्त गलत तरीके से उप पंजीयक नीमराना के यहां सुरजी देवी के हिस्से के सभी खसरा नंबरान 145 रकबा 0.56, 147 रकबा 0.44, 162 रकबा 0.52, 163/789 रकबा 0.11 है० रकबा 228 रकबा 0.19, 728 रकबा 0.26 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना के 1/6 हिस्सा की गिफ्ट डीड करा ली जो सुरजी देवी की स्वअर्जित आय से खरीद की गई आराजी नहीं थी, विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी तथा गिफ्ट डीड निष्पादन के समय भी अदालत ए.सी.एम बहरोड़ के यहां से आराजीयात पर

अतिरिक्त संपत्तीय आयुक्त
नयपुर

स्थगन था, जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं उसके बावजूद पटवारी हल्का से मिली भगत कर दिनांक 28.05.2016 को इंतकाल संख्या 311 हाल अपीलान्त ने अपने नाम करा लिया जबकि स्थगन आदेश प्रभावी था उसके बावजूद गलत तरीके से इंतकाल दर्ज किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्थगन का नोट भी लगा रखा था। विवादित आराजी में हाल असल रेस्पोंडेन्ट चिरंजीलाल व अपीलान्त जगदीश व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट स्नेहलता व राजबाला का बराबर-बराबर हिस्सा है यानि 1/4, 1/4 के हिस्सेदार है ओर तहसीलदार महोदय को वारिसान के बारे में पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि सुरजी देवी के दो लडके चिरंजीलाल व जगदीश है व दो पुत्री राजबाला व स्नेहलता है ओर यह भी अवगत कराया है कि ए.सी.एम. बहरोड़ द्वारा वर्तमान में स्थगन है। उसके बावजूद भी गलत व विधि विरुद्ध तरीके से तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है व विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 311 दर्ज कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। जिस पर जिला कलक्टर, अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2021 द्वारा हाल असल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार फरमई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 28.05.2016 निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जमाबन्दी खाता संख्या नया 89 पटवार हल्का प्रतापसिंहपुरा, तहसील नीमराना की विवादित आराजी पर सहायक कलक्टर बहरोड़ में विचाराधीन प्रकरण राजेश कुमार बनाम सदाकौर में दिनांक 05.04.2013 में तथा सहायक कलक्टर बहरोड़ में विचाराधीन प्रकरण अनिता बनाम सुबेसिंह में स्थगन आदेश है। इन्तकाल संख्या 311 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना दिनांक 28.05.2016 स्वीकृत होने से पूर्व ही उक्त इन्तकाल में दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बरों पर सहायक कलक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक 05.04.2013 को ही स्थगन जारी किया हुआ था। लेकिन स्थगन होने के बावजूद भी तहसीलदार नीमराना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2016 पारित किया गया है। जिस समय तहसीलदार ने नामान्तरण खोला उस समय स्थगन आदेश प्रभावी था। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2021 पारित किया है, जो कि सही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवर दिनांक 25.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कच्छवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त जयपुर आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त जयपुर आयुक्त
जयपुर